दाण्डिक प्रकरण क्र.–1314/2022

छ०ग० शासन विरूद्ध दीपक हरवंश + 03

Witness No–––01–––––for अभियोजन साक्षी Deposition taken the–– 07.11.2025––day of –शुक्रवार.....Witness's apparent age 52 वर्ष States on affirmation– शपथपूर्वक my name is – रविन्द्र हरवंश–– Son/Daughter /wife of – गंगाराम हरवंश–– Occupation ....कृषि... Add–– रसौटा, थाना–बलौदा, जिला –जांजगीर–चाम्पा (छ०ग०)

साक्ष्य प्रारंभ समय 03.15 बजे

मुख्य परीक्षण

01– मैं न्यायालय में उपस्थित एवं अनुपस्थित को जानता पहचानता हूँ, आरोपीगण हमारे परिवारिक रिश्तेदार है।

02– घटना दिनांक 27.05.2022 को दोपहर 01.00 बजे ग्राम रसौटा में स्थित आंगनवाडी के पास की है। घटना दिनांक से पूर्व हम लोग वीमला हरवंश से जमीन खरीदे थे जिसका सीमांकन एवं नापजोख घटना दिनांक को पटवारी एवं कोटवार एवं राजस्व निरीक्षक के समक्ष हो रहा था एवं वहाँ पर गांव के अन्य लोग भी उपस्थित थे। पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा जिस भूमि को हम लोग खरीदे थे, नापजोख कर दिये। तभी उसी समय घटना स्थल पर आरोपीगण आये और बोलने लगे कि तुम लोग जमीन को कैसे खरीदे हुये हो कहते हुए, एक राय होकर हम लोगो के साथ माँ बहन की अश्लील गाली गलौच करना शुरू कर दिया। तभी आरोपिया मीना एवं अनुज मेरी पत्नी के साथ ईटा एवं डण्डे से मारपीट शुरू कर दिये। तभी मैं भी बीच–बचाव

करने गया तब आरोपी दीपक अपने हाथ में रखे डण्डे से मेरे साथ भी मारपीट किया था। जिससे मेरे सिर पर चोट लगा था एवं कान में भी चोट आया था। जिससे मैं सुन नहीं पा रहा था। आरोपीगण द्वारा मारपीट करने से मेरे पत्नी को चोट लगा था। घटना को गिरजा अनंत प्यारे लाल कुर्रे एवं गांव का कोटवार देखे सुने है। तब मेरे द्वारा उसी दिनांक को आरोपीगण के विरूद्ध थाना बलौदा में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। जो प्र.पी. 01 है। पुलिस वाले हम लोगो का डॉक्टरी मुलायजा करवाये थे। पुलिस वाले मेरे समक्ष प्र.पी.02 को तैयार नहीं किये थे किन्तु प्र.पी.02 के हस्ताक्षर मेरे है।

03– पुलिस वाले मेरा बयान नहीं लिये थे।

इसी स्तर पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री तुषार मिश्रा (प्रशिक्षु) द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न सदृश्य प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी, अनुमति प्रदान की गई–

04– यह कहना सही है कि रिपोर्ट दर्ज कराते समय एवं पुलिस को बयान देते समय बता दिया था कि आरोपीगण मारपीट एवं गालीगलौच के अलावा हम लोगो को जान से मारने की धमकी भी दिये थे।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री बृजमोहन यादव अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

05– यह कहना सही है कि मैं ग्राम रसौटा में ही रहता हूँ। मैं विमला लोगो के नाम पर कितने जमीन है, मै बता सकता हूँ। स्वतः कहा कि कितनी डिसमिल जमीन है बता सकता हूँ, उनके नाम पर 21 डिसमिल दर्ज है। यह कहना सही है कि जमीन का खसरा नं. आज नहीं बता सकता हूँ। मैं इस बात का नहीं सुना हूँ कि विमला हरवंश

के द्वारा जमीन का सौदा मीना हरवंश के पास है। यह कहना गलत है कि मीना हरवंश की सौदे की भूमि को जबरन सौदा कर रहा था। यह कहना सही है कि मैने विमला हरवंश से जमीन खरीदने को कोई कागजात पुलिस को नहीं दिया था,यह कहना सही है कि मैने पुलिस को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा मेरे सौदे वाली जमीन का सीमांकन किये जाने वाले कागजात नहीं दिया हूँ। यह कहना सही है कि मैं सौदे वाले जमीन पर कब्जा करना चाहता था। साक्षी स्वतः अब कहता है कि मैं उक्त जमीन का पंजीयन कराना चाहता था।

06– यह कहना गलत है कि जिस जमीन का विवाद हुआ, उस जमीन पर आरोपीगण द्वारा पूर्व से नींव डाला गया था। साक्षी स्वतः कहता है कि बाद में उस जमीन पर आरोपीगण द्वारा नींव डाला गया है। मैं यह नहीं बता सकता कि नींव डालते समय मैंने शिकायत किया था तथा स्टे लिया था,उस संबंध में कोई दस्तावेज वर्तमान प्रकरण में पुलिस वाले को दिया था या नहीं।

07– मै यह नहीं बता सकता पुलिस थाना रिपोर्ट लिखवाने के लिये कितने बजे घर से निकला था। स्वतः कहा मैं उस समय बहोस था। एम्बुलेंस से मैं थाना गया था, मेरे साथ गिरजा अनंत भी मौजूद था। यह कहना गलत है कि एम्बुलेंस वाले मुझे सीधे थाना लेकर गये। थाना मैं,विमला हरवंश एवं मेरी पत्नी एवं गिरजा अनंत गये थे। यह कहना गलत है कि जिस समय रिपोर्ट दर्ज करा रहा था, उस समय बोलने की स्थिति में नहीं था। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले प्र.पी. 01 को पढ़कर नहीं सुनाये थे।

साक्षी के हस्ताक्षर

08– यह कहना सही है कि घटना दिनांक को हम लोग थाना गये थे। उसके बाद पुलिस वाले कभी गाँव नहीं आये है। यह कहना सही है कि घटना स्थल के उस पर बहुत से लोगो का मकान है, जिसमें कुछ मकान पर लोग रहते है एवं कुछ मकान खाली भी है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मीना हरवंश के द्वारा विमला हरवंश के विरूद्ध जमीन संबंधित प्रकरण वर्तमान न्यायालय में पेश किया गया था एवं उस बात की जानकारी नहीं है जिस जमीन को लेकर मीना हरवंश विमला के विरूद्ध मामला पेश की थी, वर्तमान न्यायालय द्वारा मीना हरवंश के पक्ष में डिक्री पारित किया था।

09– यह कहना सही है कि उस जमीन को लेकर मेरे एवं अभियुक्त लोगो के बीच बात–चीत नहीं है। यह कहना सही है कि मेरा उनके साथ उठना बैठना भी नहीं है। यह कहना सही है कि उस जमीन को लेकर मेरे और आरोपीगण के बीच रंजिश/विवाद चले आ रहा है। यह कहना गलत है कि मीना हरवंश द्वारा जो भूमि विमला हरवंश से क्रय किया गया है,उस जमीन का ज्यादा भाव देकर मैं खरीदना चाहता था इसलिए आरोपीगण को फसाने के लिए अपनी पत्नी एवं विमला तथा गिरजा अनंत के साथ मिलकर झूठा रिपोर्ट लिखवाया हूँ। यह कहना सही है कि यदि पटवारी आर.आई के सामने विवाद हुआ होता पुलिस वाले उनका भी बयान लिया होते, साक्षी स्वतः कहता है कि जब आरोपीगण मारपीट किये तब पटवारी और आर.आई घटना स्थल से भाग गये थे।

10– पुलिस वाले मुझसे आर.आई पटवारी घटना स्थल से भागने वाली बात को नहीं बताया था, इसलिए मैंने रिपोर्ट दर्ज कराते समय नहीं बताया था। यह कहना गलत है

साक्षी के हस्ताक्षर

कि लडाई झगडा नहीं हुआ था, इसलिए मैं घटना के समय पटवारी और आर.आई मौजूद थे,वाली बात नहीं बताया था। यह कहना सही है कि विमला हरवंश एवं मीना हरवंश एक ही परिवार के है। साक्षी स्वतः कहा है कि हिस्सा बटवारा हो चुका है।

साक्ष्य समाप्ती समय 03.52 PM

साक्षी को वाचित, सही होना पाया

SHIVANI SINGH
Digitally signed by SHIVANI SINGH
Date: 2025.11.07 17:34:49 +0530

(श्रीमती शिवानी सिंह)
न्या०मजि०प्र०श्रे० अकलतरा
जिला जांजगीर चांपा छ०ग०

मेरे निर्देशानुसार टंकित

SHIVANI SINGH
Digitally signed by SHIVANI SINGH
Date: 2025.11.07 17:34:55 +0530

(श्रीमती शिवानी सिंह)
न्या०मजि०प्र०श्रे० अकलतरा
जिला जांजगीर चांपा छ०ग०

साक्षी के हस्ताक्षर